भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3115
28 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय को आवंटित धनराशि

3115. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट के विवरण 10बी में अनुसूचित जनजाति कल्याण मद से मंत्रालय को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त राशि को किन-किन योजनाओं में खर्च किया गया है; और

(ग) योजनाओं में लाभान्वित अनुसूचित जनजाति की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत विवरण 10बी में अनुसूचित जनजाति कल्याण शीर्ष के लिए पिछले तीन वर्षों का घटक-वार आवंटन अनुलग्नक में दिया गया है।

पूरे देश में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति कल्याण शीर्ष के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है। योजनाओं के तहत उपार्जित लाभ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सहित पूरे देश में उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक जनजाति उप योजना (टीएसपी) के विकास के लिए योजनावार निधि आवंटन

(करोड़ रु.में)

योजनाओं/कार्यक्रम का नाम			बजट अनुमान 2020-21	संशोधित अनुमान 2020-21	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23
केंद्र प्रायोजित योजनाएं								
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन								
1	*राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन*							
	1.1	आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। (राष्ट्रीय निवेश कोष से सहायता)	586.20	586.20	644.82	641.57		
	1.2	एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (सकल बजटीय सहायता)	1068.86	1068.86				
	1.3	एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (सकल बजटीय सहायता)		158.57				
	1.4	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एनआईएफ)	148.51	148.51				
	1.5	एनआरएचएम (पीएमएसएसएन) के तहत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण			1489.62	1273.13		
	1.6	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्यकेंद्र (पीएमएसएसएन)				181.51		
	1.7	आशा लाभ पैकेज	92.24	92.24	92.24	57.55		
	1.8	संचारी रोगों के लिए लचीला पूल	225.17	175.17	225.17	225.17		
	1.9	गैर-संचारी रोगों, चोट और आघात के लिए लचीला पूल	75.93	49.36	75.93	75.93		
	1.1	अवसंरचना रखरखाव	758.13	758.13	761.84	831.51		
	कुल- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		***2955.04***	***3037.04***	***3289.62***	***3286.37***	***0.00***	***0.00***
2	*राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन*							
	2.1	एनयूएचएम (एनआईएफ) के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली	59.90	19.00	64.17	32.09		
	2.2	एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली		41.18				
	2.3	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एनआईएफ)	21.40	21.40	21.40	10.70		
	कुल- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन		***81.30***	***81.58***	***85.57***	***42.79***	***0.00***	***0.00***
3	*आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल*							
	3.1	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)					1652.55	1593.55

	3.2	राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) से सहायता					574.60	574.60
	3.3	पीएमएसएसएन से सहायता					500.00	500.00
	कुल- आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2727.15**	**2668.15**
4	*अवसंरचना रखरखाव*							
	4.1	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)					*134.89*	*124.89*
	4.2	पीएमएसएसएन से सहायता					626.95	695.95
	कुल - अवसंरचना रखरखाव		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**761.84**	**820.84**
	कुल - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		**3036.34**	**3118.62**	**3375.19**	**3329.16**	**3488.99**	**3488.99**
5	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण		18.88	14.03	18.88	6.25	12.00	3.00
6	*विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम*							
	6.1	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	3.75	1.00	3.25	3.25	3.90	3.90
	6.2	ट्रॉमा सेंटरों के लिए क्षमता निर्माण	13.62		6.71	1.03	5.00	
	6.3	राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय-वाहिका रोग और आघात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम	22.08	32.26	21.94	20.30	21.94	21.94
	6.4	राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम	6.12					
	कुल- विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम		***45.57***	***33.26***	***31.90***	***24.58***	***30.84***	***25.84***
7	*स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन*							
	7.1	नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि	505.62	582.02	518.06	602.81	802.45	524.65
	कुल-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन		***505.62***	***582.02***	***518.06***	***602.81***	***802.45***	***524.65***
8	*राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)*							
	8.1	सकल बजटीय सहायत (जीबीएस) से सहायता	4.04	4.04	689.55	345.27	9.00	2.50
	8.2	राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) से सहायता						
	कुल- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)		***4.04***	***4.04***	***689.55***	***345.27***	***9.00***	***2.50***
9	*आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)*							
	9.1	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	21.58					
	9.2	राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) से सहायता	667.97	252.21		1209.19		
	9.3	पीएमएसएसएन से सहायता					726.20	726.20
	कुल-आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)		***689.55***	***252.21***	***0.00***	***1209.19***	***726.20***	***726.20***
10	*प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम)*					56.78	331.09	153.26
	कुल - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ		**4300.00**	**4004.18**	**4633.58**	**5574.04**	**5400.57**	**4924.44**

****